न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 09/22 दायरा दिनांक 16.03.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

वुद्दू उर्फ वुद्दा पुत्र भीखा उर्फ भीका उम्र 70 वर्ष जाति कोली निवासी अजरोंडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान –वादी

–: बनाम :–

1. वुद्दू पुत्र भीका जाति सहरिया निवासी अजरोंडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक – 21.05.2024

उपस्थित– वादी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक

प्रतिवादी की ओर से – पेरोकार सरकार

दावे के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम अजरोंडा पटवार हल्का अजरोंडा तहसील शाहावाद में आराजी खसरा नम्बर 377/8 रकबा 4.00 वीघा स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी का वक्त आवंटन मूल खसरा नम्बर 377 तथा रकबा 27.19 बीघा दर्ज रहा है, जिसमें से रकबा 4.00 बीघा भूमि का आवंटन वादी के आवेदन पर दिनांक 21.06.2000 को वादी के हक में किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आवेदन के ऊपर वादी का नाम वुद्दू कोली अंकित किया है, परन्तु वक्त आवंटन हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में वादी की जाति कोली के स्थान पर सहरिया अंकित कर दी है, जो तभी से सहरिया चली आ रही है। हल्का पटवारी ने वक्त आवंटन अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के नाम ख.नं. 377 रकवा 4.00 बीघा अजरोंडा में टीपी दर्ज है। इस बावत नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुश्तकिल काश्त वर्ष 1998–99 की प्रमाणित प्रति पेश है, जिसमें प्रार्थी की जाति कोली दर्ज है। ग्राम अजरोंडा में वुद्दू पूत्र भीका सहरिया नाम का कोई आदमी न तो वर्तमान में है और ना ही वक्त आवंटन रहा है, अपितु इस नाम का ग्राम अजरोंडा में एकमात्र वादी ही है, जिसे उक्त भूमि आवंटन हुई है और तब से निरन्तर आज तक वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। दिनांक 16.02.22 को किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी से उक्त खाते की नकल जमाबन्दी प्राप्त करने को कहा तब हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि खाते में जाति सहरिया दर्ज है तब वादी को इसका सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तब वादी ने अपना नाम दुरूस्त कराने हेतु प्रतिवादी कम 2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी कम 2 ने आवंटन आदेश से ही वादी की जाति गलत दर्ज हो जाने के कारण दुरूस्त करने से इन्कार करते हुये वादी को श्रीमान सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। इस कारण वादी विवादित आराजी खाते में अपनी गलत दर्ज जाति सहरिया के

21.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

स्थान पर कोली दुरूस्त कर अंकित किये जाने की घोषणा कराये जाने का अधिकारी व नालिशी है। अतः प्रार्थना है कि ग्राम अजरोंडा पटवार हल्का अजरोंडा तहसील शाहाबाद स्थित आराजी खसरा नम्बर 377/8 रकबा 4.00 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ खाते में वादी की जाति सहरिया के स्थान पर कोली दुरूस्त कर दर्ज किये जाने हेतु घोषणा पारित किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 का सम्मन अदम तामील इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुआ कि ग्राम अजरोंडा में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तब अखबार में साया कराया, परन्तु वुद्दू पुत्र भीका सहरिया नाम का कोई व्यक्ति हाजिर अदालत नहीं आया। प्रतिवादी कम 2 की ओर से जवाव पेश किया गया कि खसरा नंबर 377/8 रकबा 4.00 बीघा भूमि आवंटन कमेटी ने बुद्दू पुत्र भीका जाति सहरिया के नाम अवंटन की है, सिवायचक खसरा परिवर्तन में वादी की जाति कोली दर्ज है परन्तु आवंटन पश्चात धारा 91 की कार्यवाही बंद हो गई है। आवंटन जाति सहरिया के नाम से है, खातेदारी जाति सहरिया से हुई है अतः जाति सहरिया से कोली करना उचित नहीं है। प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई–

1– आया आराजी खसरा संख्या 377/8 रकबा 4.00 बीघा ग्राम अजरोंडा तहसील शाहावाद में स्थित है, वक्त आवंटन वादी की जाति सहवन से कोली के स्थान पर सहरिया दर्ज कर दी गई है, जिसे वादी घोषणा कराकर दुरूस्त कराने का वैधानिक हकदार है ?

वादी की ओर से की ओर से साक्ष्य में स्वयं वादी के बयान कराये और जमाबन्दी ग्राम अजरोंडा सम्बत 2071–74 प्रदर्श 1, प्रति नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, नकल आवंटन आदेश प्रदर्श 4, नकल नामान्तरण नंबर 631 ग्राम अजरोंडा प्रदर्श 5, नकल खसरा परिवर्तन गैर मुस्तकिल काश्त प्रदर्श 6, आधारकार्ड प्रदर्श 7, राशनकार्ड की प्रति प्रदर्श 8, जनआधार कार्ड प्रति प्रदर्श 9 तथा जमाबंदी ग्राम अजरोंडा संवत 2071–74 प्रदर्श 10 तथा जाति प्रमाणपत्र की प्रति पेश की। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकी अनुसार साक्ष्य का विश्लेषण इस प्रकार है कि प्रदर्श 1 जमाबंदी अनुसार आराजी खसरा संख्या 377/8 रकबा 4.00 बीघा ग्राम अजरोंडा में स्थित है, जो बुद्दा पुत्र भीका सहरिया सा. देह के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि उसकी जाति कोली है, जिसे आवंटन के समय सहरिया गलत दर्ज कर दिया है, आवंटन प्रपत्र प्रदर्श 4 हल्का पटवारी रिपोर्ट में जाति सहरिया दर्ज है, परन्तु प्रदर्श 4 की पुश्त पर आवंटन अधिकारी के एण्डोर्समेंट में बुद्दू कोली स्पष्ट दर्ज है। आवंटन प्रपत्र प्रदर्श 4 पर अंकित हल्का पटवारी की रिपोर्ट में प्रार्थी/आवंटी के हक में खसरा नंबर 377 रकबा 4.00 बीघा पर टी पी दर्ज

21.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

होना बतलाया गया है, जिसकी पुष्टि नकल खसरा परिवर्तन गैर मुस्तकिल काश्त प्रदर्श 6 से होती है, जिसमें खसरा संख्या 377 रकबा 4.00 बीघा वादी के नाम फसल काश्त दर्ज है तथा आवंटन हो गया है का एण्डोर्समेंट भी दर्ज है, इसके अलावा वादी के अन्य खाता संख्या 197 की प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 10 तथा जाति प्रमाणपत्र से भी वादी की जाति कोली होना साबित है। इसके अलावा वुद्दू पुत्र भीका सहरिया के नाम से जारी सम्मन पर भी रिपोर्ट अंकित है कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि वादी की जाति कोली है। वादी तनकी को साबित करने में कामयाब रहा है।

अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 377/8 रकबा 4.00 बीघा ग्राम अजरोंडा तहसील शाहावाद में दर्ज खातेदार बुद्दा पुत्र भीखा जाति सहरिया के स्थान पर बुद्दू पुत्र भीका जाति कोली दर्ज किया जावे। तदानुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

21.05.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद